



आराजी को रहन, बैय या अन्य किराी तरीके से अन्तरित करने से निषेद्ध रहें व उक्त स्थगन आदेश रास्ते व खाले पर लागू नहीं होगा।

अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड ए.डी. से करवा रसीदें तीन दिवस में पेश करें पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2024 को पेश हो।


(स्वाति गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

29.8-24 वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वयं
उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि परसकमान
के साथ उत्तरा राजीनामा होना के
कारण पत्रावली में  कार्यवाही
नहीं चलता है।

उक्त प्रकरण में
आगे कोई कार्यवाही
नहीं चलाना चाहता
भा.भा.श.पी.प.किं
29.8.24

इसलिए पत्रावली 'अ' आदी दिनांक 23-7-24 को जारी अर्थात् विशेषता को रिटर्न को जे हुए पत्रावली को वर्तमान स्तर पर एकाग्र किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की आकाश तकमील शामिल है।

XV

(खालिमुल्ला)

प्रोग्रामड अधिकारी एवं
जीन महायक कलेक्टर
दिल्ली